कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / एफ–4 / 41 / 2022 / 10–11 / 1646 भोपाल, दिनांक 24/04/2023

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– अनूपपुर जिले के अंतर्गत वनमण्डल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1 X 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना–इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग–2, म0प्र0पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चचाई को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./ 6-MPR 009/2022-BHO/ दिनांक 13 / 05 / 2022

---0---

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी आवेदक / संबंधित वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है :–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
1	Alternative alignment of proposed diversion area with KML file and comparative alignment of alternative shall be submitted.	प्रस्ताव में विद्युत उत्पादन के लिये 660 मेगावाट की एक यूनिट स्थापित की जानी है। यह यूनिट पूर्व से निर्मित पावर प्लांट के अंदर ही स्थापित होनी है। अतः प्रकरण में अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
2	No objection certificates of concerned departments (Railway, Road etc.) need to be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में चाही गई अनापत्ति के संबंध में लेख है कि उक्त प्रस्तावित वनभूमि पावर हाउस परिसर के अंदर म.प्र.पा.ज.कं.लिमिटेड परिसर में है। गूगल मेप में जो सड़क व रेलवे लाईन दिखाई दे रही है वह पूर्णतः आवेदक संस्था द्वारा ही निर्मित है तथा इनका उपयोग कोल परिवहन व अन्य कार्यों हेतु आवेदक द्वारा किया जाता है। रेलवे लाईन वर्ष 2009–10 में लम्बाई लगभग 3 कि.मी. की प्लांट परिसर के अंदर एवं कांक्रीट रोड़ वर्ष 2017–18 में लम्बाई लगभग 1 कि.मी. म.प्र.पा.ज.कं.लिमिटेड निजी उपयोग हेतु आवेदक संस्था द्वारा ही बनाई गई है, जिसका उपयोग म.प्र.पा.ज.कं.लिमिटेड के द्वारा ही किया जाता है। अतः उक्त अनुसार सड़क विभाग व रेलवे विभाग के अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।

3	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि प्रकरण में 660 मेगावाट की एक इकाई स्थापित की जानी है। स्वीकृत लेआउट अनुसार है, जिसका विवरण पूर्व में दिया गया है।
4	Justification for location of the project in forest land (countersigned by DFO) needs to be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक विभाग द्वारा दिये गये Justification को वनमण्डलाधिकारी, अनूपपुर द्वारा सत्यापित कर संलग्न है।
5	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में muck disposal प्लान संलग्न किया है।
6	As per the Google Earth imagery and DSS analysis, there is some encroachment in forest area. This shall be clarified.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक विभाग द्वारा लेख किया है कि वनभूमि की सीमा का सही पता न होने से त्रुटिवश अस्थायी शेड का निर्माण कर लिया गया था, जिसे हटा दिया गया है।
7	As per DSS analysis, there is previous activity impression available in surrounding forest area. The status of those forest and needs to be clarified and FCA approval, if any needs to be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में वनमण्डलाधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि आवेदित स्थल वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 401 अंतर्गत रकबा 6.171 हेक्टेयर में पूर्व से कोई निर्माण या आकृति नहीं पाई गई है, न ही कोई अनाधिकृत कब्जा पाया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि यदि पावर प्लांट की 660 मेगावाट की स्थापित की जाने वाली इकाई यदि अन्य स्थान पर स्थापित की जाती है तो कोयला परिवहन के लिये पृथक से रेलवे लाईन बनाई जाना होगी। नवीन स्थल तक पहुंचने के लिये नया मार्ग निर्मित करना होगा। पावर हाऊस को पानी प्रदाय करने के लिये पृथक से बांध भी निर्मित करना होगा। वर्तमान पावर हाऊस में यह सभी सुविधायें उपलब्ध है। प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

24/4/2023

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–4/41/2022/10–11/1647 भोपाल, दिनांक 24/04/2023

प्रतिलिपिः–

1. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
2. कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग–2, म0प्र0पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चचाई, मध्यप्रदेश

24/4/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

-95-

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल, अनूपपुर (म०प्र०)

E-mail : dfotanppur@mp.gov.in; Ph. No. (07659) 222038

क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 522 अनूपपुर, दिनांक 11/4/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय :– अनूपपुर जिले के अंतर्गत वन मण्डल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना–इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हे. वनभूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग–2, म0प्र0 पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड चचाई को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :– 1– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6 एम.पी.आर.009 / 2022–बी.एच.ओ. दिनांक 13.05.2022.
2– आपका पत्र क्रमांक / एफ–4 / 41 / 2022 / 10–11 / 3494 दिनांक 12.10.2022.
3– उप वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर का पत्र क्रमांक / 1034 दिनांक 10.04.2023.

––o0o––

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र क्रमांक–02 द्वारा भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी ***As per DSS analysis, there is previous activity impression available in surrounding forest area. The status of those forest land needs to be clarified and FCA approval, if any needs to be submitted.*** के संबंध में उप वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित स्थल वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 401 अंतर्गत रकवा 6.171 हे. में पूर्व से कोई निर्माण या आकृति नहीं पायी गई है, न ही कोई अनाधिकृत कब्जा पाया गया है।

अतः चाही गई जानकारी आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

(एस.के.प्रजापति)
(भा.व.से.)
वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

पृ0क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 523 अनूपपुर, दिनांक 11/4/2023

प्रतिलिपि :–

1– मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2– कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग–2 म0प्र0 पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड चचाई जिला अनूपपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

\\192.168.1.10\e\SANJAY 2013\DM 2013\Memo_2021.doc

विद्युत
4

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
18-4

(मध्यप्रदेश शासन का उपकम)
कार्यालय–कार्यपालन अभियंता (सिविल)निर्माण संभाग–2
अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई, जिला–अनूपपुर (म0प्र0) 484220
(CIN–U40109MP2001SGC014882) Mail-seecivilatps@gmail.com

कमांक 001–7300/Work/256 चचाई, दिनांक 20/09/2022

प्रति,
श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध),
मध्यप्रदेश – भोपाल ।

द्वाराः– श्रीमान् वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल अनूपपुर म0प्र0।

विषयः– अताविगृ चचाई पावर हाउस परिसर के अन्दर स्थित 6.171 हेक्टर वनभूमि के अधिग्रहण बाबत्।

सन्दर्भः–1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक 6–एमपीआर 009/2022–बीएचओ. दिनाँक 13.05.2022
2. आपका पत्र कमांक एफ–4/41/2022/10–11/1704 दिनाँक 17.05.2022
3. इस कार्यालय का पत्र कमांक 001–73/143 दिनाँक 11.07.2022
4. वन मण्डलधिकारी अनूपपुर का पत्र कमांक मा.चि./2022/3396 दिनाँक 27.07.2022
5. इस कार्यालय का पत्र कमांक 001–73/233 चचाई दिनाँक 08.09.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के तारतम्य में ली गई आपत्तियों के संबंध मे निम्नानुसार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

01. आपके पत्र द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र का आल्टरनेटिव अलाईमेन्ट चाहा गया है जो पूर्व मे दी गई जानकारी के अनुसार मौके पर नहीं है। केवल 6.171 हेक्टेयर भूमि ही वन विभाग की परिसर के अन्दर है, जिसे 1X660 मेवा. किटिकल युनिट हेतु अधिग्रहित की जाना है।

02. आपके पत्र द्वारा रेल्वे एवं सड़क विभाग द्वारा जारी अनापत्ति पत्र संलग्न करने हेतु लेख किया है, जैसा कि पूर्व मे भी अवगत कराया गया था, कि उक्त वनभूमि पॉवर हाउस परिसर के अन्दर मप्रपाजकंलि परिसर मे है। अतः सड़क विभाग व रेल्वे विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है। गुगल नक्शे में जो सड़क व रेल्वे लाईन दिखाई पड़ रही है, वह पूर्णतः मप्रपाजकंलि द्वारा निर्मित है व पावर हाउस संचालन हेतु कोल परिवहन व अन्य कार्यो हेतु मप्रपाजकंलि द्वारा स्वयं ही उपयोग मे ही ली जाती है। अन्य किसी विभाग द्वारा कोई उपयोगी नही की जाती है। उक्त रेल लाईन वर्ष 2009–10 मे लम्बाई लगभग 3 किलोमीटर की प्लांट परिसर के अन्दर एवं कांकीट रोड वर्ष 2017–2018 मे लम्बाई लगभग 1 किलोमीटर मप्रपाजकंलि के निजी उपयोग हेतु मप्रपाजकंलि द्वारा बनाई गई है जिसका उपयोग केवल मप्रपाजकंलि के द्वारा ही किया जाता है।

03. उक्त भूमि की आवश्यकता स्वीकृत लेआउट अनुसार है जो कि आवेदन मे पूर्व से उल्लेखित है एवं ऑनलाईन भी संलग्न की गई है।

04. आपके पत्र द्वारा वनभूमि मे परियोजना का औचित्य प्रस्तुत न करने का लेख किया गया है– उक्त बाबद् अवगत कराया जाता है कि, इस स्थान पर पूर्व से ही एक विद्युत उत्पादन ईकाई स्थापित है, जिसके लिए रेल्वे लाइन एवं अन्य व्यवस्थाए निर्मित है। किसी अन्य स्थान पर यह परियोजना लागू करने पर अन्य सभी संरचानाए जैसे– सड़क, रेल्वे, पानी का बॉध आदि निर्मित करने होंगे, जिसके लिए काफी भूमि की आवश्यकता होगी।

PTO

2022/9/21 17:35

2022/9/21 17:35

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय–कार्यपालन अभियंता (सिविल)निर्माण संभाग–2

अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई, जिला–अनूपपुर (म0प्र0) 484220

(CIN–U40109MP2001SGC014882) Mail-secivilatps@gmail.com

आजादी का अमृत महोत्सव

05. आपके पत्र द्वारा वांछित डिटेल्ड मक कैल्कुलेशन एवं मक डिस्पोजल स्कीम इस पत्र के साथ संलग्न है।

06. आपके पत्र मे प्रस्तावित वन क्षेत्र में अतिक्रमण का उल्लेख है उक्त बावद् लेख है कि वन विभाग की भूमि की सीमा का सही पता न होने से त्रुटिवश अस्थाई शेड का निर्माण कर लिया गया था, जिसे हटा दिया गया है।

07. बिन्दु इस कार्यालय से सम्बधित नहीं है। डीएफओ अनूपपुर द्वारा कार्यवाही वांछित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन अभियंता (सिविल)
निर्माण संभाग–2
म0प्र0पा0ज0कं0लि0, चचाई

प्रतिलिपिः–

01. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक शहडोल वृत्त शहडोल म.प्र.।
02. श्रीमान् वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल अनूपपुर म0प्र0।
03. श्रीमान् मुख्य अभियंता (उत्पादन) अताविगृ, म0प्र0पा0ज0कं0लि0, चचाई।
04. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता (सिविल), अताविगृ, म0प्र0पा0ज0कं0लि0, चचाई।

-S/-

कार्यपालन अभियंता (सिविल)
निर्माण संभाग–2
म0प्र0पा0ज0कं0लि0, चचाई

M.P. POWER GENERATING COMPANY LTD.
(Govt. of M.P. Undertaking)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER(CIVIL) Constn. Dn.-II
ATPS; Chachai, Distt. Anuppur (M.P.)484220
(CIN-U40109MP2001SGC014882) Mail- secivilatps@gmail.com

(19)

No.001-7300/ कार्य /477 Chachai Date : ..15/3/2021.........

Justification for locating the project in forest land

The project namely'' Installation of 1x660MW unit in place of retired unit of PH-I & PH-II at ATPS Chachai, District Anuppur (M.P.) is proposed to meet out the power requirement of M.P. state. The already installed unit of PH-I 1x30MW + 1x20MW & unit of PH-II 2x120 MW have been retired from services after completing the working life. The forest land is coming within the boundary wall of power house premises. There is no alternative to use other land in place of this forest land. Hence the acquisition of this forest land is very necessary.

15/3/21
(M.K. Namdeo)
E. E.(Civil) Constn. Dn.-II
ATPS, MPPGCL, Chachai

Divisional Forest Officer
Anuppur